"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25-अ]   रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 जनवरी 2011—माघ 11, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2011

आदेश

क्रमांक 819/डी-2344/21-ब/छ. ग./2011.—राज्य शासन, एतद्द्वारा कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (सन् 1984 का संख्या 66) की धारा 6 एवं छत्तीसगढ़ कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2007 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छ. ग. उच्च न्यायालय के परामर्श से, निम्नलिखित तालिका की कंडिका 2 में दर्शित कुटुम्ब न्यायालयों हेतु, तालिका की कंडिका 3 में वर्णित व्यक्तियों को, अग्रिम आदेश तक के लिये, परामर्शदाता नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	कुटुम्ब न्यायालय का नाम (2)	व्यक्ति का नाम (3)
1.	रायपुर	(1) श्रीमती साधना शर्मा (2) श्रीमती अनिता पिल्लई (3) श्रीमती सरोज चन्द्राकर (4) श्रीमती लक्ष्मी वर्मा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.